कार्यालय,
सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

संख्याः– प्राशिप / परिषद सम्बद्धता / 2016 / 8010 लखनऊः दिनॉकः 15–5–2016

:–कार्यालय ज्ञाप–:

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा शैक्षिक सत्र 2016–17 हेतु डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान [illegible] सम्बद्धता / सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक 14–5–2016 एवं 15–5–2016 को अध्यक्ष, प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 लखनऊ की अध्यक्षता में परिषद कार्यालय में बैठक संपन्न हुई। बैठक में सत्र 2016–17 हेतु आवेदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता / पूर्व से संचालित संस्थाओं का सम्बद्धता विस्तार / पाठ्यक्रम / प्रवेश क्षमता वृद्धि हेतु सत्र 2016–17 हेतु सम्बद्धता प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

उक्त के अनुक्रम में सम्बद्धता समिति की बैठक के मद–4 के पर निम्न डिप्लोमा स्तरीय पाठ्यक्रम संचालित करने वाली संस्था का प्रकरण रखा गया। सम्बद्धता समिति द्वारा गहन विचार–विमर्श कर निम्नवत् निर्णय लिया गया :–

> **" उक्त प्रकरण पर समिति द्वारा विचार विमर्श किया गया और निर्णय लिया गया कि– "सम्बद्धता समिति की बैठक दिनांक 22–8–2012 में लिये गये निर्णय के अनुसार द्वितीय पाली में डिप्लोमा संचालन की अनुमति उसी संस्थान को दी जाएगी जिस संस्थान से एक बैच उत्तीर्ण हो चुका हो", हेतु तीनों संस्थाएं सत्र 2016–17 हेतु पात्र हैं। अतः सत्र 2016–17 हेतु निम्न तीनों संस्थाओं को द्वितीय पाली में ए0आई0सी0टी0ई0 द्वारा अनुमोदित डिप्लोमा पाठ्यक्रम के संचालन की अनुमति प्रदान किये जाने का निर्णय समिति द्वारा सर्वसम्मति से लिया गया"**

अतः निम्नानुसार संबंधित संस्था को सम्बद्धता समिति द्वारा लिये गये निर्णय के आधार पर प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ0 प्र0 लखनऊ द्वारा सत्र 2016–17 हेतु निम्नांकित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता प्रदान की जाती है :–

कम संख्या	संस्था का नाम	संस्था कोड	पाठ्यकम का नाम	परिषद द्वारा सत्र 2015–16 में अनुमोदित प्रवेश क्षमता	ए0आई0सी0टी0ई0 / परिषद द्वारा सत्र 2016–17 में अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	आई0आई0एम0टी0कालेज आफ पालीटेक्निक, गौतमबुद्धनगर।	570	सिविल इंजी0 इलेक्ट्रिकल इंजी0 मैकेनिकल इंजी0(मेंटी0) मैकेनिकलइंजी0(प्रोड0) द्वितीयपाली मैकेनिकलइंजी0(प्रोड0) सिविलइंजी0	180 60 60 180 00 00	180 60 60 180 60 60

- ✓ संस्था ए0आई0सी0टी0ई0 द्वारा निर्धारित की गयी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1962 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमवाली 1992 तथा अन्य निर्मित नियमों एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षीय पाठ्यकमों (दो वर्षीय फार्मेसी पाठ्यकम सहित) हेतु रू0– 28,000.00 / – प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षीय पाठ्यकमों हेतु रू0– 20,000.00 शुल्क ही प्रत्येक छात्र / छात्रा से प्राप्त किया जायेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्रों से शुल्क के सम्बन्ध में समय–समय पर शासन द्वारा निर्गत किये जाने वाले शासनादेश प्रभावी होगें, और तदनुसार कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। फीस निर्धारण समिति द्वारा यदि सत्र 2016–2017 हेतु फीस का पुनर्निधारण किया जाता है। तो फीस की नवीनतम दरें लागू होंगी।

[illegible] (उ0प्र0 प्राविधिक शिक्षा समितियाँ तथा उप समितियां, संस्थाओं को सम्बद्ध किया जाना) [illegible] 2000 की शर्तों का अनुपालन करना होगा।

[illegible] में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आवंटित छात्रों को ही प्रवेश दिया जायेगा। सीटों के रिक्त रह जाने की स्थिति में उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जायेगी।

- ✓ संस्था को समय–समय पर निर्गत शासनादेश के अनुसार निरीक्षण एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।
- ✓ संस्था को ए0आई0सी0टी0ई0 से आगामी सत्र हेतु अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश शासन द्वारा बनाये गये विधि/नियमों/अधिनियमों/शासनादेशों/निर्देशों एवं निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उ0प्र0, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उ0प्र0 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 द्वारा बनाये गये नियमों, विनियमों, आदेशों, निदेशो का पालन करने के लिये बाध्य होगी।
- ✓ डिप्लोमा इन फार्मेसी पाठ्यक्रम की संस्थाएं यदि पी.सी.आई. नई दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त करने में असफल रहती है तो इस संबंध में समस्त उत्तरदायित्व संस्था का होगा और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राविधिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन को कोई वाद दायर किया जाता है तथा दायर वाद के संबंध में मा. न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिपूर्ति संबंधी आदेश निर्गत किया जाता है तो समस्त प्रतिपूर्ति संबंधित संस्था को करनी होगी।
- ✓ डिप्लोमा [illegible] संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा प्रत्येक वर्ष के लिए आयोजित प्रवेश परीक्षा हेतु [illegible] पी0सी0आई0 से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यालय को उपलब्ध कराना होगा अन्यथा उन्हें प्रवेश की (काउन्सिलिंग के माध्यम से अथवा संस्था स्तर पर सीधे प्रवेश) अनुमति नहीं प्रदान की जायेगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु निर्गत नवीनतम आरक्षण नियमों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएं जैसे संस्था की ऐतिहासिक पृष्ठिभूमि, स्टाफ, साज–सज्जा, उपकरण, प्राप्त किया जाने वाला शुल्क, छात्रावास शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण–प्रशिक्षण हेतु उपर्युक्त वातावरण उपलब्ध कराने के साथ रैगिंग रोकने के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित हो ले कि संस्था में प्रस्तावित/संचालित पाठ्यकम को चलाये जाने हेतु निरीक्षण समिति के समक्ष उपलब्ध कराये गये अभिलेख, भूमि–भवन, फर्नीचर, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यकम के संचालन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो तत्काल संस्था की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की अनुशंसा की जायेगी।
- ✓ सम्बद्धता शर्तो का अनुपालन न किये जाने अथवा शर्तो का उल्लघंन किये जाने की स्थिति में नियमानुसार [illegible] कार्यवाही भी जायेगी।

(एस0 के0 सिंह)
सचिव

पृ0सं0– प्राशिप/परिषद सम्बद्धता /2016/8011–8493 तद् दिनॉक: 15–5–2016

प्रतिलिपि:–प्रधानाचार्य/निदेशक, आई0आई0एम0टी0कालेज आफ पालीटेक्निक, गौतमबुद्धनगर।

(एस0 के0 सिंह)
सचिव

C:\Users\HCL\Desktop\Second Shift 2016 diploma.docx